रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2852] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 28, 2019/भाद्र 6, 1941
No. 2852] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 28, 2019/BHADRA 6, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2019

का.आ. 3122(अ).—जबकि आयकर नियम, 1962 के नियम 11 छ के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने, दिनांक 2 जनवरी, 1992 के भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 2 जनवरी, 1992 की अधिसूचना सं. का. आ. 5(अ), यथासंशोधित दिनांक 22 दिसंबर, 1994 की अधिसूचना सं. का.आ. 926(अ); दिनांक 23 दिसंबर, 1997 की अधिसूचना सं. का.आ. 892(अ); दिनांक 21 मई, 2001 की अधिसूचना सं. का.आ. 444(अ); दिनांक 9 नवंबर, 2004 की अधिसूचना सं. का.आ. 1258(अ); दिनांक 1 फरवरी, 2008 की अधिसूचना सं. का.आ. 227(अ); दिनांक 1 फरवरी, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 218 (अ); दिनांक 4 मार्च, 2014 की अधिसूचना सं. का.आ. 654(अ) और दिनांक 31 मार्च, 2017 की अधिसूचना सं. का.आ. 1021 (अ) द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण उन्नयन समिति का गठन किया था।

और जबकि आयकर नियम, 1962 के नियम 11 छ के उप नियम (1) के अनुसार, पूर्वोक्त अधिसूचना के तहत सरकार द्वारा चौदह व्यक्तियों को उक्त समिति का बतौर अध्यक्ष और सदस्य नियुक्त किया गया था;

और जबकि पूर्वोक्त समिति के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 30 मार्च, 2018 को समाप्त हो गया था। और जबकि, पूर्वोक्त समिति के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल, दिनांक 17 अप्रैल, 2018 की अधिसूचना सं. का.आ. 1658 (अ) द्वारा छह माह की अवधि अर्थात् 30 सितंबर, 2018 तक आगे बढ़ाया गया था। और जबकि पूर्वोक्त समिति के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल दिनांक 5 अक्तूबर, 2018 की अधिसूचना सं. का.आ. 5160 (अ) द्वारा छह माह की अवधि अर्थात 31 मार्च, 2019 तक आगे बढ़ाया गया था। और जबकि पूर्वोक्त समिति के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल दिनांक 8 मई, 2019 की अधिसूचना सं. का.आ. 1706 (अ) द्वारा छह माह की अवधि अर्थात् 30 सितंबर, 2019 तक आगे बढ़ाया गया था।

इसलिए अब, आयकर नियम, 1962 के नियम 11 छ के उप-नियम (1) और (2) के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक और आर्थिक कल्याण उन्नयन समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के रूप में निम्नलिखित व्यक्तियों का कार्यकाल 1 अक्तूबर, 2019 से छह माह की अवधि अर्थात् 31 मार्च, 2020 तक के लिए आगे बढ़ाया जाता है।

1	न्यायमूर्ति आर.सी. लाहोटी	भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश	अध्यक्ष
2	श्री अमरदीप सिंह चीमा	उपाध्यक्ष, नेहरू युवा केन्द्र संगठन और सामाजिक कार्यकर्ता	सदस्य
3	डॉ. अमिया कुमार शर्मा	कार्यकारी निदेशक, राष्ट्रीय विकास निधि, गुवाहाटी	सदस्य
4	श्री बलदेव चौधरी	पूर्व अध्यक्ष, यूपी कांग्रेस समिति अनुसूचित जाति/जनजाति प्रकोष्ठ	सदस्य
5	श्रीमती चेतना सिन्हा	सूक्ष्म वित्त एवं महिला उद्यमिता, संस्थापक एवं अध्यक्ष, मान देशी बैंक	सदस्य
6.	श्री डी.आर. मेहता	पद्म भूषण और सेवानिवृत्त प्रशासनिक सेवक, संस्थापक एवं मुख्य संरक्षक, भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति (बीएमवीएसएस), जयपुर	सदस्य
7	श्री एनरिको पिपरनो	पूर्व टेनिस खिलाड़ी व कोच	सदस्य
8	श्री हबीब ए. फकीह	स्थानीय स्वायत्तशासन एवं लोक प्रशासन में विशेषज्ञ, उपाध्यक्ष द फेडरेशन ऑफ लिंग्विस्ट एंड रिलीजस माइनोरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, महाराष्ट्र	सदस्य
9	प्रो. नालादी सामुयेलू	अवकाश प्राप्त प्रोफेसर, समाजशास्त्र व सामाजिक कार्य विभाग, आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय, गुंटुर	सदस्य
10	डॉ. नरेश गुप्ता	निदेशक, प्रोफेसर, मोलाना आजाद मेडिकल कॉलेज एवं संबद्ध अस्पताल, नई दिल्ली	सदस्य सदस्य
11	श्री संजीव कुमार अरोड़ा	चार्टर्ड अकाउंटेंट	सदस्य
12	श्रीमती शमीमा रैना	सामाजिक कार्यकर्ता	सदस्य
13	श्रीमती शशिकला वामनन	शिक्षाविद	सदस्य
14	श्री विनायक लोहानी	सामाजिक उद्यमी एवं परिवार के संस्थापक	सदस्य

[फा. सं. 2/2019/फा. सं. वी.27013/3/2018-एसओ(रा.समि.)]

रश्मि रंजन दास, संयुक्त सचिव (एफटी एवं टीआर-I) और सचिव (राष्ट्रीय समिति)